रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL LIBRARY
17
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1978/चैत्र 10, 1900

No. 172] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1978/CHAITRA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 227(अ)/सं० 4/78 :—आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 की उपधारा (2) और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर और अधिसूचना सं० 17/76 (आयात व्यापार नियंत्रण) और अधिसूचना सं० 1/68 (निर्यात व्यापार नियंत्रण) और अन्य सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 8(1), 8क या 9(1) के अधीन की गई कार्रवाई और (नियंत्रण) आदेश की धारा 7, 8 या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई के विरुद्ध अपील सुनने के उद्देश्य के लिये निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रतिनियुक्त करती है, अर्थात् :—

(1) जिस मामले में कार्रवाई संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा की गई हो तो उसमें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या अपर मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली।

(2) जिस मामले में मद (1) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई हो उसमें वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव, दो संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी वाली एक समिति।

[मिसिल सं० एल० एस०/ संदर्भ-120/77]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1978

(Import and Export Trade Control)

S. O. 227(E) No. 4/78.—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (2) of Clause 10 of the Imports (Control) Order, 1955 and Sub-Clause (2) of Clause 12 of the Export (Control) Order, 1977 and in supersession of Notification No. 17/76 (Import Trade Control) and Notification No. 1/68 (Export Trade Control) and all other Notifications, the Central Govt. hereby constitutes the following authorities for the purpose of hearing appeals, against the action taken under Clause 8(1), 8A or 9(1) of the Imports (Control) Order, 1955 and action taken under Clause 7, 8 or Sub-Clause (1) of Clause 11 of the Export (Control) Order, namely :—

(i) where the action is taken by a Joint Chief Controller of Imports and Exports or by a Dy. Chief Controller of Imports and Exports, the Chief Controller of Imports and Exports or Addl. Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(ii) where the action is taken by an authority other than any authority referred in item (1), a committee consisting of the Secretary, and two Joint Secretaries and the Chief Vigilance Officer in the Ministry of Commerce, New Delhi.

[F. No. LS/Ref.-120/77]

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 228(अ)/सं० 5/78.—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को आयात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश 1978 की संज्ञा दी जाये ।

(2) यह तत्काल ही लागू होगा।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में,—

(1) धारा 8 में

(क) हाशिये में लिखे हुए शीर्षक के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

"वस्तुओं के आयात या लाइसेंस प्राप्त करने या आयातित वस्तुओं के आबंटन को विवर्जित करने का अधिकार",

(ख) उप-धारा (1) में "केन्द्रीय सरकार" शब्द से आरम्भ होने वाले और "इस आदेश" से समाप्त होने वाले भाग में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को माल का आयात करने या लाइसेंस प्राप्त करने या भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम या इसी प्रकार अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से आयातित वस्तुओं के आबंटन से विवर्जित कर सकते है और यह निदेश दे सकते हैं कि इस ओर से की गई किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना उसको कोई लाइसेंस नहीं प्रदान किया जायेगा या आयातित माल का आबंटन नही किया जायेगा या यह कि इस आदेश के अन्तर्गत उसे विशेष अवधि के लिये किसी प्रकार के माल का आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी ।

(ग) उप-धारा (1) की मद (ज) में, "लाइसेंस प्राधिकारी" शब्द के पश्चात् शब्द "या" जोड़ा जायेगा:—

(घ) उप-धारा (1) की मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा अर्थात्:—

(i) यदि वह महा निदेशक तकनीकी विकास या अन्य सम्बद्ध प्रयोजक प्राधिकारी को उत्पादन विवरणिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है या जहां पर इस प्रकार का नियंत्रण लागू है, यदि वह आयातित वस्तुओं से सम्बद्ध विवरण नियंत्रण का पालन करने में असमर्थ हो'

(2) धारा 9 में उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"3. केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात या इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी, लिखित में विशेष आदेशों द्वारा इसे अप्रभावी कर सकता है या उप-धारा (1) के अन्तर्गत जहां पर इस प्रकार के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही अपनाई गई है इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किये गये किसी लाइसेंस के संचालन को निलम्बित कर सकते हैं, इसलिये, लेकिन, जहां पर इस प्रकार की कार्यवाहिया पूरी कर लेने के बाद लाइसेंस रद्द करने के लिये, लिये गये निर्णय को इस प्रकार का प्रत्येक विशेष आदेश निरसित करेगा"।

(3) धारा 10 में उप-धारा (1) और (2) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(1) धारा (7) या धारा 8(1) या धारा 8-ए या धारा 9(1) के अन्तर्गत लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को जब तक उसे उचित सुनवाई का अवसर नही दिया जाता है उस के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 8(1) या धारा 8-ए या धारा 9(1) के अन्तर्गत की गई कार्रवाई से हानि पहुंचती है वह ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जिसको केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना की तिथि से 45 दिन के अन्दर अपील की सुनवाई के लिये, नियुक्त करती है ।

(4) धारा 10(घ) को हटा दिया जायेगा।

(5) धारा-10(ङ) में शब्द और अंक "धारा 8" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 8 की उप-धारा (1)" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[मिसिल संख्या एल० एम०/आरईएफ-81/77]

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1978

(Import Trade Control)

S. O. 228(E)/No. 5/78.—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

1. (1) This Order may be called the Imports (Control) Second Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Imports (Control) Order, 1955,—

(i) in clause 8,—

(a) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely :—

"Power to debar from importing goods or from receiving licences or allotments of imported goods";

(b) in sub-clause (1), for the opening portion starting with the words "the Central Government" and ending with the words "this Order :—", the following shall be substituted, namely :—

"The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports may debar a licencee or importer or any other person from importing any goods or from receiving licences or allotment of imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India or any other similar agency and direct, without prejudice to any other action that may be taken

in this behalf, that no licence or allotment of imported goods shall be granted to him or that he shall not be permitted to import any goods for a specified period under this Order," ;

(c) in item (h) of sub-clause (1), after the words "licensing authority", the word "or" shall be inserted;

(d) after item (h) of sub-clause (1), the following shall be inserted, namely :—

"(i) if he fails to submit production returns regularly to the Director General Technical Development or any other sponsoring authority concerned; or

(i) if he fails to comply with the distribution control in respect of imported goods where such control is applicable.";

(ii) in Clause 9, after sub-clause (2), the following shall be inserted, namely : —

"(3) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective, or suspend the operation of, any licence granted under this Order, where proceedings for cancellation of such licence have been initiated under Sub-clause (1); so however, every such special order shall be revoked where a decision is taken not to cancel the licence after the completion of such proceedings."

(iii) in Clause 10 for sub-clause (1) and (2) the following shall be substituted, namely :—

"(1) No action shall be taken under Clause 7 or Clause 8(1) or Clause 8A or Clause 9(1) against a licensee or an importer or any other person unless he has been given a reasonable opportunity of being heard. (2) Where any person is aggrieved by any action taken under Clause 8(1) or Clause 8A or Clause 9(1), he may prefer an appeal against such action to such authority as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute for the purpose of hearing appeals, within fortyfive days from the date of the communication of the action taken.";

(iv) clause 10E shall be omitted ;

(v) in Clause 10F, for the word and figure "Clause 8", the words, brackets and figures "sub-clause (1) of Clause 8" shall be substituted.

[F. No. LS/Ref.-81/77]

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

का० आ० 229(अ) सं० ई० (सी०) ओ, 1977/ए० एम०(49):— आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 8) के खंड 3 और 4ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1 (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जायें।

(2) यह तत्काल ही लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,—

(i) धारा 3 की उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(4) यदि किसी भी मामले में यह पाया जाता है कि निर्यात किये जाने वाले माल का मूल्य, वर्ग, विशिष्टिकरण, क्वालिटी और विवरण इस सम्बन्ध में निर्यातक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नहीं है या ऐसे माल की क्वालिटी और विशिष्टिकरण निर्यात संविदा के अनुसार नहीं है तो ऐसे माल, को निषेध किया गया समझा जायेगा" ;

(ii) धारा 7 की उप-धारा (1) में

(क) मद (ज) में 'या' शब्द को अन्त में जोड़ा जायेगा ।

(ख) मद (ज) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"(1) यदि वह अपने और अन्य पार्टी के बीच की गई निर्यात संविदा का जानबूझ कर उल्लंघन करता है।"

(iii) धारा 14 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायगा अर्थात्:—

"14क" मुख्य नियंत्रक अथवा अपर मुख्य नियंत्रक के अधिकारों की पुनरावृत्ति—

"मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात अथवा अपर मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात अपनी इच्छा से अथवा अन्य रूप से उस किसी भी कार्यवाही के रिकार्डों को जिसमें उसके अधीनस्थ अधिकारी में धारा 7(1) के अन्तर्गत विवर्णित करने की कार्रवाई की है, अपनी खुद की संतुष्टि के लिये कि इस प्रकार की गई कार्रवाई सही है, वैधिक है, या औचित्य के लिये मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और उस पर इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

बशर्ते कि इस उप-धारा के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही परिवर्तित नहीं होगी जिससे कि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जब तक ऐसे व्यक्ति के—

(क) ऐसी कार्यवाही की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर यह कारण बताओ सूचना प्राप्त हुई हो कि इस प्रकार की कार्रवाई क्यों न परिवर्तित होगी; और

(ख) प्रतिवेदन करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है और यदि उसने इच्छा की कि उसके बचाव के लिये सुनवाई का समय दिया गया है"।

[मि० सं० एल० एस०/रेफरेन्स -81/77]

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

(Export Trade Control)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1978

S.O. 229(E)/No. E(C)O, 1977/AM(49).—In exercise of powers conferred by sections 3 and 4A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Sixteenth Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Exports (Control) Order, 1977,—

(i) after sub-clause (3) of Clause 3, the following shall be inserted, namely :—

"(4) If in any case, it is found, that the value, sort, specification, quality and description of the goods to be exported are not in conformity with the declaration of the exporter in those respects or the quality and specification of such goods are not in accordance with the terms of the export contract, the export of such goods shall be deemed to be prohibited";

(ii) in sub-clause (1) of clause 7—

(a) in item (h), the word "or" shall be added at the end;

(b) after item (h), the following shall be inserted, namely :—

"(i) If he commits a wilful breach of the export contract entered into between him and the other party";

(iii) after Clause 14, the following shall be inserted, namely :—

"14A" Powers of Revision of the Chief Controller or Additional Chief Controller,—

"The Chief Controller or Additional Chief Controller may, on his own motion or otherwise, call for and examine the records of any proceeding in which an action to debar under Clause 7(1) has been taken by any officer subordinate to him and against which no appeal has been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of such action and pass such orders thereon as he may think fit :

Provided that no action shall be varied under this sub-clause so as to prejudicially affect any person unless such person—

(a) has, within a period of two years from the date of such action, received a notice to show cause why such action shall not be varied; and

(b) has been given a reasonable opportunity of making representation and, if he so desires, of being heard, in his defence".

[F. No. LS/Ref.-8/77]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

DD-20187
7.9.79

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978